


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 3038-एक/14

जिला - नीमच

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-3-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर, नीमच के पत्र क्रमांक 194/नजूल/2014 दिनांक 11-8-14 के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन कलेक्टर, नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-20(1)/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 19-8-11 के पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>2— विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कलेक्टर, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 एवं संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रकाश में प्रकरण में विधिवत आदेश पारित करें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदृश्य</p>	

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

१०

संस्करण का दिनांक . ११-०९-१५.....

विनष्टीकरण के लिये नियत दिनांक .....

निर्णय का दिनांक ..... ६-३-१५....

अभिलेखागार क्रमांक .....

## भाग-अ

प्रकरण क्रमांक .. १००३०३८-१-१५.....

पीठासीन न्यायाधीश श्री ..... कुमार दिल्ली

### पक्षकार

मान्त्रिक श्री। मुनि द्वारा बन्दैक्षण्य विद्वाच पासन वर्धमान काल्पनिक प्रबुद्धि विभाग विभागीय

ग्राम ..... तहसील .....

जिला ..... जीमच

### अभिभाषक

श्री ..... प्रार्थी श्री ..... प्रतिप्रार्थी

### वाद विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण वहां प्रस्तुत हुआ

अन्तिम आदेश का सार .....

६-३-१५ (८३३ क्रमांक ग्राम)

पूर्ववर्ती प्रकरणों का सन्दर्भ :

आयुक्त/अति. आयुक्त का प्र.क्र. ....

जिलाधीश/अनुविभागीय अधिकारी .....